

न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर  
पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 331/21 (वाद)

GCMS NO. : 2021/411

उनवान

1. श्री चुन्नीलाल पिता श्री प्यारचन्द जी सुथार निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....वादी

बनाम

1. श्री हरिराम पिता नन्दा जी गाडरी निवासी धारता तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।  
2. श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

.....प्रतिवादी

उपस्थित-1. श्री लक्ष्मण गिरी गोस्वामी, अधिवक्ता वादी।

उपस्थित-2. श्री दुर्गेश जोशी, अधिवक्ता प्रतिवादी।

**वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**-::निर्णय::-**

दिनांक : 23.08.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा बंटवाडा किया जाने पर सहमति व्यक्त की। अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार कानोड से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर बंटवाडा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा धारता पटवार हल्का धारता की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-

क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	श्री हरिराम पिता नन्दा गाडरी सा. देह खातेदार रहन SBI भीण्डर	1504 मी.	0.5722	बा प्र.	5.15
	योग	किता 1	0.5722	बा प्र.	5.15
2.	श्री चुन्नीलाल पिता प्यारचन्द सुथार सा. देह खातेदार	1503	0.03	बा प्र.	0.24
		1504/ 1	0.0078	बा प्र.	0.07
	योग	किता 2	0.0378	बा प्र.	0.34

पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।